भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 854
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले

854. श्री राहुल कस्वां :
श्री हैबी ईडन :
श्री खलीलुर रहमान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं ;
(ख) यदि हां, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों तथा जिला न्यायालयों में पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं ;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में विभिन्न न्यायालयों द्वारा कितने मामलों का निपटारा किया गया ;
(घ) लंबित मामलों में वृद्धि हेतु किन कारणों को चिह्नत किया गया है ; और
(ङ) विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न न्यायालयों में मामलों का पिछला संचय निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की कुल संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय	84,045
2.	उच्च न्ययालय	60,11,678
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,53,51,913

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को दर्शाने वाला ब्यौरेबद्ध कथन जिसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल भी है, उपाबंध-1 पर रखा गया है ।

(ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरेबद्ध कथन, उपाबंध-2 पर रखा गया है ।

(घ) : ऐसे अनेकों कारण हैं, जो न्यायालयों में मामलों के लंबन को बढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना और न्यायालय के सहायक कर्मचारी, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी तथा मुवक्किल तथा नियमों और कार्यवाहियों का उचित उपयोजन, की उपलब्धता भी है । अन्य घटक जो मामलों के निपटान में विलंब बढ़ाते हैं, के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मामलों में निपटान के लिए क्रमशः न्यायालयों द्वारा निपटान के लिए

विहित समय-सीमा की कमी, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों की मॉनिटरी, खोज तथा उन्हें इक्कटठे सुनने की उपयुक्त व्यवस्था की कमी भी है । इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों के लंबन की दशा में, आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों अर्थात पुलिस, अभियोजन, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, हस्तलेख विशेषज्ञ तथा चिकित्सा-विधिक विशेषज्ञों, की सहायता द्वारा कार्य करती है । सहबद्ध अभिकरणों द्वारा सहायता प्रदान करने में विलंब से भी मामलों के निपटान में विलंब होता है ।

(ङ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान न्यापालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में ही है । तथापि सरकार, न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र सुकर बनाने की ओर प्रतिबद्ध है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन लंबन में कमी लाने के लिए आदेशाधीन है । इस पर, सरकार ने राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन को 2011 में स्थापित किया था, जिसके, प्रणाली में विलंब और बकाया मामलों में कमी लाने के द्वारा अभिगमन बढ़ाना और संपादन मानक और क्षमताएं स्थापित करने के द्वारा और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जिम्मेवारी बढ़ाना, दो उद्देश्य थे । मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण को चला रहा है, जो, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए सुधरी हुई अवसंरचना जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अधिक मुकदमेबाजी से प्रवृत्त क्षेत्रों में नीति तथा विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय की कार्यवाहीयों की पुनः इंजीनियरी और मानव संशाधन विकास पर जोर भी है, अन्तर्वलित करता है ।

उपबंध-1

'विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले' से संबंधित लोकसभा के अतारांकित प्रश्न. सं. 854 के भाग (क) और_(ख) जिसका उत्तर 26.07.2024 को दिया जाना है, के लिए निर्दिष्ट कथन

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को दर्शाने वाला ब्यौरेबद्ध कथन

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	लंबित मामलों की कुल संख्या
1	उत्तर प्रदेश	11848518
2	महाराष्ट्र	5461530
3	बिहार	3567635
4	पश्चिमी बंगाल	3125326
5	राजस्थान	2332551
6	कर्नाटक	2032978
7	मध्य प्रदेश	2013541
8	केरल	1798695
9	ओडिशा	1630601
10	गुजरात	1538469
11	तमिलनाडु	1489128
12	हरियाणा	1426887
13	दिल्ली	1321447
14	तेलंगाना	929450
15	पंजाब	871930
16	आंध्र प्रदेश	870348
17	हिमाचल प्रदेश	648736
18	झारखंड	550013
19	असम	466775
20	छत्तीसगढ़	413499
21	उत्तराखंड	369534
22	जम्मू - कश्मीर	321212
23	चंडीगढ़	111488
24	गोवा	59121
25	त्रिपुरा	49625
26	पुडुचेरी	34829
27	मेघालय	15516
28	मणिपुर	12798
29	अरुणाचल प्रदेश	11291
30	अंदमान और निकोबार	8962
31	मिजोरम	5456
32	दादरा और नागर हवेली सिलवासा में	4460
33	दमण और दीव	3140
34	नागालैंड	2946
35	सिक्किम	1774
36	लद्दाख	1538
37	लक्षद्वीप	166
	कुल	**45351913**

उपाबंध-2

'विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले' से संबंधित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न. सं. 854 जिसका उत्तर 26.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और_(ख) के लिए निर्दिष्ट कथन

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पिछले पांच वर्षों में निपटाए गए मामलों की संख्या				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1.	जस्थान उच्च न्यायालय	1,72,329	84,300	1,24,930	1,52,310	1,81,945
2.	राजस्थान में जिला और अधीनस्थ न्यायालय	15,08,232	7,86,604	11,92,950	10,49,961	10,25,735
